मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
'मंत्रालय' वल्लभ भवन

क्रमांक एफ.14-13/2020/41-2 **भोपाल दिनांक :** 02/09/2024

प्रति,

1. **संचालक**
   पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
   म.प्र.शासन

2. **आयुक्त**
   नगरीय प्रशासन एवं
   आवास विभाग म.प्र.शासन

3. **कलेक्टर,**
   समस्त जिले
   म.प्र. शासन

विषयः समग्र पोर्टल में नागरिकों के समग्र ID का आधार के साथ शत प्रतिशत e-KYC पूर्ण करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष e-KYC अभियान के संदर्भ में।

संदर्भः- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का पत्र क्र.F-14-13/2020/41-2 दि. 30/07/2024.
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का पत्र क्र. F-14-13/2020/41-2 दिनांक 15/06/2023.
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का पत्र क्र.ER-120-1207879/2023 दि. 04/05/2023
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का पत्र क्र. F-14-13/2020/41-2 दि. 12/09/2022.
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का पत्र क्र.F-14-13/2020/41-2 दि. 09/09/2022.

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन हो, प्रदेश में 30/07/24 से 30/09/24 तक विशेष e-KYC अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश के समस्त जिलों में समग्र पोर्टल पर नागरिकों के समग्र आईडी का आधार से e-KYC सत्यापन कराये जाना एवं शत-प्रतिशत पंजीकृत नागरिकों का e-KYC पूर्ण करना लक्षित है।

कृपया अवगत होना चाहेंगे कि, दिनांक 01/09/2024 तक प्रदेश में औसतन कुल 43.2% नागरिकों के ही e-KYC हो सके हैं। (जिलेवार किये गए समग्र e-KYC की सूची संलग्न है।) जिलों में शत-प्रतिशत समग्र e-KYC पूर्ण कराए जाने के उद्देश्य से e-KYC प्रक्रिया को प्राथमिकता पर लिया जाना आवश्यक है।

शासन द्वारा समस्त विभागीय योजनाओं / सेवाओं में ई-केवाईसीकृत समग्र आईडी को अनिवार्य किया गया है। नागरिकों के समग्र आईडी पर e-KYC ना होने पर योजनाओं / सेवाओं का लाभ लेने से वंचित रहने की संभावना है। समग्र e-KYC प्रक्रिया द्वारा प्रदेश भर में कुल निर्मित 10.5 करोड़ समग्र आईडी में से e-KYC से डुप्लीकेट समग्र आइडी को हटाया जाना संभव होगा।

e-KYC अभियान में जिला स्तर पर निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है -

i. मैदानी अमले द्वारा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में eKYC अभियान हेतु एजेंसियों को विशेष कैंप हेतु आवश्यक सहयोग / समन्वय प्रदान किया जाए।
ii. जिला / तहसील / ब्लॉक / पंचायत / ग्राम / वार्ड स्तर पर प्रचार प्रसार कर नागरिकों को एजेंसीयों के केंद्र पर अथवा कैम्प स्थल पहुँच कर eKYC करवाने हेतु प्रेरित किया जाए।
iii. एजेंसियों के जिला स्तरीय समन्वयकों के साथ सतत संपर्क एवं समन्वय कर जिलेवार e-KYC अभियान के क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना बनाई जाए।
iv. निकाय एवं गाम पंचायत के नोडल अधिकारियों से अपेक्षा है कि प्रतिदिन समग्र पोर्टल पर अपने Login से किये गए e-KYC को सत्यापित कर अद्यतन करना आवश्यक है अन्यथा e-KYC की प्रक्रिया तकनीकी रूप से पूर्ण नहीं हो सकेगी।
v. e-KYC की प्रक्रिया नागरिकों के लिए नि:शुल्क है एवं इसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नागरिकों द्वारा देय नहीं है। कियोस्क एजेंसी को प्रति सफल ट्रांजैक्शन हेतु MPSEDC द्वारा रु 18/- प्रति ट्रांजैक्शन देय होगा।
vi. नागरिकों का e-KYC एजेंसी के केंद्र पर उनके बायोमेट्रिक अथवा OTP के माध्यम से आधार ID विवरण अनुसार किया जाता है।
vii. अभियान के क्रियान्वयन एवं संचालन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में विभागीय अमले द्वारा सहयोग प्रदान किया जाए।
viii. जिला स्तर के मैदानी अमले से e-KYC की अद्यतन जानकारी प्रत्येक सप्ताह जिला स्तर पर एकत्रित की जाए।
ix. निकाय अधिकारी अपने लॉगिन से (IT Ticketing tool) के माध्यम से भी कार्य के दौरान आ रही समस्याओं से अवगत करा सकेंगे।
x. पृथक-पृथक विभागों द्वारा संचालित हो रही योजनाओं में भी e-KYC की प्रक्रिया प्रचलित है, परंतु उसके साथ-साथ नागरिक / हितग्राहियों का समग्र पोर्टल https://samagra.gov.in पर इस प्रक्रिया को शत-प्रतिशत पूर्ण कराया

उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुए आपके जिले के समग्र धारकों के शत-प्रतिशत e-KYC की प्रक्रिया https://samagra.gov.in/ पोर्टल पर इस अभियान में सुनिश्चित की जाए। e-KYC प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या होने पर ई-मेल samagra.support@mp.gov.in एवं हेल्पडेस्क दूरभाष 0755-2700800, पर संपर्क करने का कष्ट करें।

प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

पृ.क्र. एफ.14-13/2020/41-2 **भोपाल, दिनांक :** 02/08/2024

प्रतिलिपि-

1. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, समस्त विभाग म.प्र. शासन,
2. प्रबंध संचालक, MPSEDC, भोपाल।
3. संभाग आयुक्त, म.प्र - (भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, रीवा, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, शहडोल)
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र. शासन, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग